आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 11/12–13

बुधन साव वनाम् नन्हक सिंह एवं अन्य

आदेश

11.03.14
30.04.14

आवेदक बुधन साव पिता स्व० रूपचंद साव साकिन समनपुरा टोला भगवान बिगहा थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का पैमाईश कराकर वादी को दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। बाद में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन हेतु आवेदन दिया जिसे प्राधिकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। विवादित भूमि जो ग्राम बैदराबाद टोला ओझा बिगहा थाना वो जिला अरवल मे अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	तीनों का मिलजुमले चौहद्दी
3	49 50 51	35 डी० 32 डी० 1 एकड़ 52 डी०	उतर – बद्रीनाथ ओझा दक्षिण – बद्रीनाथ ओझा एवं रामा चौधरी पूरब – अवधेश कुमार पश्चिम – बद्रीनाथ ओझा

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 01 ने लिखित रूप से दिया कि वे विवादित भूमि पर दावा नही करेंगे। विपक्षी संख्या 02 मेधनाथ सिंह के द्वारा न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपत्ति दाखिल नही की गई और विवादित भूमि का नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से करायी गई और नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट कर वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक को दिनांक 25.06.40 को सादा केवाला के माध्यम से बद्रीनाथ ओझा से प्राप्त है जिसका डिमाण्ड वादी बुधन साव के नाम से खुल चुका है और मालगुजारी रसीद भी निर्गत है।

(2) क्रय करने की तिथि से विवादित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा रहा है,परन्तु इस वर्ष प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि के कुछ अंश पर अवैध ढ़ग से कब्जा कर लिया गया है।

(3) सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि वादी के जमीन के पश्चिम छोर पर विपक्षी मेधनाथ सिंह के द्वारा 10 कट्टा भूमि पर दावा किया

जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा दाखिल सादा केवाला का अवलोकन किया। सादा केवाला में अंकित सभी तिथियों में छेड़–छाड़ किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को मौखिक रूप से सादा केवाला की मूल प्रति को न्यायालय में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया,परन्तु उनके द्वारा मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही आवेदक के द्वारा कोई भी राजस्व रसीद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त कागजातों के अभाव में आवेदक को किसी भी प्रकार का अनुतोष स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

30.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।